

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कर्मांक :-शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/15-16/द्वितीय किस्त/115

दिनांक:- 21-10-16

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)
(समस्त).....

रजिस्टर्ड पत्र
महत्त्वपूर्ण

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
(समस्त).....

विषय:-आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2015-16 में 25% निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में प्रथम/द्वितीय किस्त की प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्भरण के संबंध में

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016, पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016, पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 एवं पत्रांक 71 दिनांक 21.09.16 के क्रम में।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2015-16 में नव प्रवेशित एवं पूर्व वर्षों के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार के समसंख्यक पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016, पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016, पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 एवं पत्रांक 71 दिनांक 21.09.16 के अनुसरण में गैर सरकारी विद्यालयों को संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों किया जा रहा है। प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

(अ) शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त का गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों को भुगतान कार्य करवाने हेतु संशोधित टाईम फ्रेम :-

1. संबंधित गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से प्रथम/द्वितीय किस्त का क्लेम बिल जनरेट कर (सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रेषित करना।

10 नवम्बर 2016 से पूर्व

2. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से ऑन लाईन पास ऑर्डर जारी कर पे-मैनेजर से बिल बनाकर कोषालय प्रेषित कर संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाना।

15 नवम्बर 2016 से पूर्व

(ब) शैक्षिक सत्र 2015-16 के प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जानी सुनिश्चित करना:-

1. राज्य सरकार के पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।
2. निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016, पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016 एवं पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 में दिये गये निर्देशों/उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कार्य संपादित किया जावे।
3. जिन गैर सरकारी विद्यालयों को प्रथम किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें द्वितीय किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जावे।
4. आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर पासऑर्डर जारी करने, बिल बनाने, क्लेम बिल जारी करने, क्लेम बिल निरस्त करवाने अथवा गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयोंद्वारा अनुभूत की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रारंभिक


शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित आरटीई के केन्द्रीय कंट्रोल रूम (Central Control Room) जयपुर के दूरभाष नंबर 0141-2719073 पर संपर्क करें तथा समस्या का पूर्ण विवरण संबंधित कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर के ई-मेल आईडी rteccrhelp@gmail.com पर मेल करें ।

केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर

दूरभाष नंबर- 0141-2719073 (जयपुर)

email ID- rteccrhelp@gmail.com


बीकानेर स्थित हैल्प सेंटर के दूरभाष नंबर- 0151-2220140


वित्तीय सलाहकार

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) से उक्त निर्देशों की पालना करते हुये निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार पुनर्भरण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
6. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
7. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार आरटीई पोर्टल पर क्लेम बिल जनरेट करने एवं पास ऑर्डर जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को SMS द्वारा सूचित करने का श्रम करें।
8. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)..... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिशिअ (प्राशि) कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करावें तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को प्रेषित करें ।
9. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
10. सहायक निदेशक (आरटीई), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।


वित्तीय सलाहकार

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर